एसओपी सं.1

फा.सं.VIII/1/एमएस/आईजीएनसीए/2010

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र

29 नवंबर, 2012

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित किए जाने वाली संगोष्ठियों/ सम्मेलनों से संबंधित मानक कार्य-विधि (एसओपी)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) उन प्रमुख केंद्रों में से एक है, जो भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति के उन्नयन और परिरक्षण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। अपने दायित्वों के भाग के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और सार्वजनिक व्याख्यानों आदि का आयोजन करता रहा है। मानक कार्य-विधि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के विद्वानों को सुचारु रूप से आमंत्रित करने के लिए तैयार की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके हवाई भाड़ा/अतिथि-सत्कार पर होने वाले व्यय को कम किया जाए और यह व्यय ऐसे उत्कृष्ट विद्वानों पर पर ही खर्च किया जाए जो इस सम्मेलन में वास्तविक अवदान कर सकें। हवाई भाड़ा/अतिथि-सत्कार नेमी रूप में नहीं दिया जाना चाहिए।

इस संबंध में निम्नलिखित मापदंडों का पालन किया जाएगा:

1. विद्वानों को आमंत्रण

- कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किए जाने वाले विद्वान उस कार्यक्रम के विषय/थीम के अनुसार संबंधित क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वान होने चाहिए।
- संबंधित विद्वान ने संबंधित क्षेत्र में पुस्तकें/शोध-लेख प्रकाशित किए हों।
- वह विद्वान किसी प्रतिष्ठित संगठन/ संस्थान से संबद्ध हो।
- विद्वानों को सम्मेलन में एक लेख प्रस्तुत करना होगा। सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने वाले लेख के सार के संबंध में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के विशेषज्ञों की समिति की पूर्व अनुमति ली जाएगी।

2. हवाई भाड़ा

- जहां तक संभव हो, आमंत्रित किए गए विद्वानों से अनुरोध किया जाएगा कि वे हवाई यात्रा पर होने वाले व्यय को अपने संसाधनों से ही वहन करें या यदि संभव हो तो अपने संस्थान के माध्यम से वहन करवाएं।

- लेकिन यदि कोई विद्वान हवाई भाड़े की प्रतिबद्धता के बिना कार्यक्रम में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो यह मामला विधिवत गठित विशेषज्ञ समिति को भेजा जाएगा, जो बिंदु 1 में दिए गए मानदंडों के आधार पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हवाई भाड़े की सिफारिश करेगा।

- यदि समिति सिफारिश करती है तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा किफायती श्रेणी का हवाई भाड़ा वहन करेगा।

- कारोबारी श्रेणी का हवाई भाड़ा विद्वान की उत्कृष्टता तथा प्रस्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यास के सदस्य सचिव/अध्यक्ष के अनुमोदन से बहुत विशेष मामलों में और विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाएगा।

3. स्थानीय अतिथि-सत्कार

- स्थानीय अतिथि-सत्कार का व्यय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। यह सत्कार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी), आईटीडीसी के जनपथ होटल, वाईएमसीए के अतिथि गृह, विश्व युवा केंद्र आदि में आवास/भोजन मुहैया करके किया जाएगा।

- सम्मेलन/ संगोष्ठी के लिए गठित समन्वय समिति प्रतिभागी की प्रस्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभागियों की ठहरने की व्यवस्था के संबंध में निर्णय लेगी।

4. स्थानीय यात्रा

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, स्थानीय यात्रा की सुविधा मुहैया करेगा। यह सुविधा समन्वय समिति द्वारा कार्यक्रम विशेष के संबंध में लिए गए निर्णय की अपेक्षा के

अनुसार शेयर्ड टैक्सी/डीएलवाई और मिनि बसें उपलब्ध कराकर प्रदान की जाएगी। अलग-अलग कारें विशेष मामलों में ही दी जाएंगी।

5. क्षेत्र का दौरा

- कार्यक्रम के दौरान यदि प्रतिनिधियों के लिए कोई क्षेत्र दौरा प्रस्तावित हो तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की विशेषज्ञ/विद्वानों की समिति उनकी अपेक्षाओं और क्षेत्र दौरे के औचित्य पर ध्यान देगी, जिसमें इस बात पर विचार किया जाएगा कि इससे इस संस्थान को या शिक्षाविदों को क्या शैक्षिक लाभ होगा।
- समन्वय समिति, परिवहन के तरीके, आवास स्थान, ऐतिहासिक स्थलों आदि के दौरे की अनुमति जैसे इस दौरे के संभारतंत्र की अपेक्षाओं पर ध्यान देगी।

उपर्युक्त मापदंडों का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित किए जाने वाली सभी भावी संगोष्ठियों/सम्मेलनों में सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

यह परिपत्र सदस्य सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ह./- जयंत कुमार रे
निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. सभी विभागाध्यक्ष
2. निदेशक (ए)
3. मुख्य लेखा अधिकारी
4. पीडी (केडी)
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (जेएस, केके, एमसी)
6. एओ (लेखा)
7. एओ (केएन, केडी)
8. परामर्शदाता (सीडीएन)

9. परामर्शदाता (ए)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

1. संयुक्त सचिव के निजी सचिव
2. सदस्य सचिव के निजी सचिव